



## नवीन नेपाली संवधान और असहमति के मुद्दे

श्वेता सिन्हा

अतिथि सहायक प्राध्यापक

किसान कॉलेज, सोहसराय, नालंदा

सारांश: देश की शासन-व्यवस्था को चलाने के लिए जरूरी मूलभूत आदर्शों और नियमों के लिए राष्ट्रीय सहमति से निर्मित कानूनी दस्तावेज को संवधान कहा जाता है। सहमति पर आधारित होने की वजह से यह लोगों को आपस में जोड़ता है और उनके बीच एक मजबूत संबंध तैयार करता है। तभी राष्ट्रीय एकता और अखंडता अक्षुण्ण रह पाती है। लेकिन नेपाल के वर्तमान संवधान के लागू होने के बाद ऐसे कई मुद्दे उभरकर सामने आए हैं, जिन पर देश के अलग-अलग समुदायों का दृष्टिकोण सर्फ भन्न ही नहीं अपितु वरदोही है, जो कसी भी नव- लोकतान्त्रिक देश के लिए अच्छी बात नहीं काही जा सकती है। देश के दक्षिण रहनेवाले और बहुसंख्यक मधेशी लोगो अपने आपको ठगा महसूस कर रहे हैं। देश की धर्मनिरपेक्ष छव से कुछ लोगों को तकलीफ है। देश का के ही एक हिस्से में शोषण और उपेक्षित होने का भाव घर करता जा रहा है और उनकी निष्ठा पर सवाल उठाए जा रहे हैं। देश के अंदर की असहमति का असर वैदेशिक और पड़ोसी सम्बन्धों पर भी पद रहा है। ये सभी संकेत बहुत अच्छे नहीं कहे जा सकते हैं। दुखदायी तथ्य यह है कि इन आशंकाओं और असहमतियों के निवारण की कोई विश्वसनीय कोशिश होती हुई नहीं दीख रही है। ऐसे में नेपाल के सामने बड़ी समस्या न खड़ी हो जाये, जो भारत जैसे पड़ोसी के लिए खतरनाक बात होगी। प्रस्तुत आलेख में नेपाल के नवीन संवधान और उससे जुड़ी असहमति के मुद्दों का अध्ययन करता है।

कुंजी शब्द: असहमति, नवीन संवधान, नेपाल, लोकतन्त्र, मधेशी, एकता-अखंडता, धर्मनिरपेक्षता, नागरिकता



प्रस्तावना:

संतंबर 2015 में तत्कालीन राष्ट्रपति रामबरन यादव ने नवनिर्मित नेपाली संवधान के लागू होने की घोषणा की। 1996 से ही नेपाल माओवादी हिंसा से जूझ रहा था और अगले दस वर्षों तक वह इसमें लगातार झुलसता रहा। ऐसे देश के लिए एक लोकतान्त्रिक संवधान का निर्माण बेशक एक शानदार उपलब्धि कही जा सकती है। लेकिन इस संवधान ने जीतने मुद्दों का समाधान किया, उससे ज्यादा मुद्दों को इसने जन्म भी दे दिया। देश के एक बड़े तबके में इसने हाशियाकरण का भाव भर दिया है। ऐसे कई मुद्दे उभर कर सामने आ रहे हैं, जिन राष्ट्रीय सहमति का सर्वथा अभाव है।

धर्मनिरपेक्षता

धर्मनिरपेक्षता के मामले पर बहस संवैधानिक सभा में निरंतर बनी रही। काफी लम्बे समय से हिन्दू राष्ट्र बने रहने के कारण नेपाल को धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनाना काफी चुनौतीपूर्ण कार्य रहा। देश के तीन बड़े राजनीतिक दलों ने प्रारूप संवधान में संयुक्त रूप से संशोधन प्रस्ताव रखा जिसमें धर्मनिरपेक्षता को इस प्रकार परिभाषित किया गया 'प्राचीन काल से माने जा रहे धर्म और संस्कृति का संरक्षण तथा धार्मिक एवं सांस्कृतिक स्वतंत्रता'। लेकिन संवधान में धर्मनिरपेक्षता की इस प्रकार की परिभाषा रखने से वस्तुतः नेपाल को हिन्दू राष्ट्र बनाने की मंशा स्पष्ट झलकती है। प्राचीन काल के धर्म को संरक्षण देकर तीनों राजनीतिक दल अप्रत्यक्ष रूप से देश को हिन्दू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। वह भ्रन्त धार्मिक समूह, वंचित समूह और दलित समूह चाहते थे कि धर्मनिरपेक्ष संवधान बने जिससे उन्हें कल्पित हिन्दू रिवाजों से उत्पन्न भेदभाव से मुक्ति मिले। नेपाल की जनसंख्या के 30 प्रतिशत संजातीय समूह भी धर्मनिरपेक्ष संवधान के पक्ष में थे। वहीं दूसरी तरफ राष्ट्रीय प्रजातांत्रिक जैसे दल और हिन्दू संगठन देश को हिन्दू राष्ट्र बनाने के पक्ष में थे।

बहुत से मूलवासी और संजातीय समूह जीववादी हैं जो यह मानते हैं कि हिन्दू धर्म के कारण उनकी पहचान फीकी पड़ रही है। एक धर्म के प्रभाव में वृद्धि के फलस्वरूप क्रांतिक धर्म में यथायक बढ़ोतरी हुई। 2001 और 2011 के जनगणना के आंकड़ों की तुलना करे तो हम देखेंगे कि इस धर्म में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। क्रांतिक एक मूलवासी समूह है



जिसकी स्वयं की सभ्यता और इतिहास है, और यह एक धर्म के वर्चस्व से पीड़ित रहा है। वर्तमान धर्मनिरपेक्षता के पहलू द्वारा सभी धर्मों और समुदायों के हितों की रक्षा सामान्य रूप से की जानी चाहिए तथा उन्हें अपना धर्म मानने और अवलंबन करने के लिए समान अवसर प्रदान किये जाने चाहिए।

अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय की प्रतिक्रिया

अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय ने नेपाल में नए संवधान की घोषणा होने पर इसका स्वागत किया है। विश्व शक्तियों एवं संयुक्त राष्ट्र एवं यूरोपीय संघ जैसे समुदायों ने नेपाल में चल रहे आन्दोलन और संवैधानिक संकट को वार्ता द्वारा शांतिपूर्वक सुलझाने की मंशा जाहिर की है।

चीन के वदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा क, “चीन तहेदिल से नए संवधान की घोषणा पर नेपाल को बधाई देता है तथा यह उम्मीद करता है क इस अवसर से नेपाल में राष्ट्रीय एकता, स्थिरता और विकास स्थापित होगा”। पाकस्तान के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने नेपाल द्वारा नये संवधान को ग्रहण करने के मौके पर बधाइयाँ दी और कहा क “हम नेपाल की सरकार और राजनीतिक दलों का इस उपलब्धि पर अभिनन्दन करते हैं। पाकस्तान को यह विश्वास है क नया संवधान नेपाल में लोकतंत्र की नींव को मजबूत करेगा।” बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने नए संवधान की घोषणा के मौके पर नेपाल के लोगों को बधाइयाँ दी।

संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने नेपाल में नए संवधान की घोषणा पर कहा क “नेपाल सरकार को सभी नेपालियों के वचारों और इच्छाओं को समाहित करने का सतत प्रयास करना चाहिए तथा यह सुनिश्चित भी किया जाये क वैश्विक सद्वांता और मानदंडों जैसे लैंगिक समानता, धार्मिक स्वतंत्रता और नागरिकता का अधिकार को संवधान में आलंगनबद्ध किया जाये”। यूरोपीय संघ के प्रवक्ता ने कहा क, “यूरोपीय संघ यह उम्मीद करता है क सभी दल एकजुट होकर संवाद और सहमति के वातावरण में नेपाली नागरिकों के समक्ष आई चंताओं को सुलझाएंगे”। ब्रिटेन की तरफ से कहा गया क “हम इस प्रक्रिया के अंतिम चरण का गहराई से अवलोकन कर रहे हैं। हमें आशा है क यह नया संवधान समावेशी, व्यापक रूप से समर्थत तथा समानता के अन्तर्राष्ट्रीय मानकों को पूरा करेगा”।



इस अन्तर्राष्ट्रीय प्रति क्रया में अमेरिका, यूरोपीय संघ और ब्रिटेन की प्रति क्रया कुछ हद तक भारत सर साम्यता रखती है।

भारत की प्रति क्रया

भारत नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना का समर्थक रहा है, बल्कि भारत की को शशों से ही नेपाल की राजनीतिक पार्टियाँ और माओवादी एक साथ आकार लोकतान्त्रिक सं वधान बनाने के लए तैयार हुए थे। ऐसे में भारत को नेपाल में सं वधान लागू होने से खुशी होनी चाहिए थी, ले कन भारत की प्रति क्रया इस पर काफी तल्ख रही। इसकी मुख्य वजह मधेशियों का असंतोष है। मधेशी भारतीय मूल के है और वे भारत की सीमा से लगे इलाको में रहते है। खासकर बिहार के सीमावर्ती क्षेत्रों से मधेशियों के गहरे सम्बन्ध है। इस लए इन क्षेत्रों में अशांति का असर भारत पर भी पड़ेगा।

भारत की यह भी आपति रही क वर्ष 2007 में अंतरिम सं वधान बनाते वक्त जो आश्वासन नेपाल की राजनीतिक पार्टियों ने उन्हें दिए थे, उन्हें पूरा नहीं किया गया। तब यह तय किया गया था क सभी वर्गों और समूहों को इसमें उचित प्रतिनिधत्व मलेगा। भारत द्वारा नए सं वधान में संशोधन के सुझाव:

भारत ने नये सं वधान का अवलोकन करने के पश्चात् सं वधान में संशोधन के निम्न सात सुझाव दिए-

1. अंतरिम सं वधान का अनुच्छेद 63 (3) के अनुसार चुनाव निर्वाचकाओं का गठन जनसँख्या, भौगोलिकता और व शष्ट लक्षणों के आधार पर होगा, “और मधेश के मामले में यह जनसँख्या के प्रतिशत के आधार पर रहेगा”। इस प्रावधान के तहत मधेशी की जनसँख्या 50 प्रतिशत से अधिक होती हैं और उन्हें संसद में 50 प्रतिशत स्थान मलना चाहिए। बाद में नए सं वधान के अनुच्छेद 84 में इसका लोप कर दिया गया। भारत सरकार का मानना है क इसे पुनः स्थापित किया जाना चाहिए जिससे क मधेशियों को जनसँख्या के अनुपात में चुनाव निर्वाचकाओं में उनका स्थान मले।
2. अंतरिम सं वधान के अनुच्छेद 21 में वर्णित था क देश व भन्न समूहों को राज्य की संरचना में आनुपातिक समावेश के सद्वांत के आधार पर सहभागी



बनने का अवसर दिया जायेगा। नए संवधान के अनुच्छेद 42 से आनुपातिक शब्द को हटा दिया, भारत का सुझाव है क इसे पुनः शामिल किया जाये।

3. नए संवधान का अनुच्छेद 283 वर्णित करता है क राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश, संसद के अध्यक्ष, राष्ट्रीय सभा के अध्यक्ष, प्रान्तों के प्रमुख, मुख्यमंत्री, प्रांतीय सभाओं के अध्यक्ष, सुरक्षा वभागों के उच्च अधिकारी के पदों पर वे ही नागरिक आ सकते है जिन्हें वंशानुगत आधार पर नागरिकता मली है। यह प्रावधान उन बहुसंख्यक मधेशियों के साथ भेदभाव करता है जिन्होंने नागरिकता जन्म और देशीयकरण के आधार पर प्राप्त की है। भारत का सुझाव है क संशोधन द्वारा जन्म और देशीयकरण के आधार पर नागरिकता को भी इसमें शामिल किया जाये।
4. नये संवधान का अनुच्छेद 86 कहता है क राष्ट्रीय सभा में 7 प्रान्तों से 8 सदस्य चुने जायेंगे तथा 3 सदस्यों को मनोनीत किया जायेगा। मधेशी दल चाहते है क राष्ट्रीय सभा में प्रान्तों की जनसँख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व होना चाहिए, भारत इस बिंदु का समर्थन करता है।
5. पांच ववादास्पद जिले कंचनपुर, कैलाली, सुनसरी, झापा, मोरांग को पड़ौसी प्रान्त मधेश में शामिल किया जाना चाहिए।
6. अंतरिम संवधान के अनुच्छेद 154 में वर्णित था क प्रत्येक 10 वर्ष बाद चुनाव निर्वाचकाओ का प्रारूप प्रस्तुत किया जायेगा, जिसे नये संवधान में 20 वर्ष कर दिया गया। मधेशियों ने इस पर आपत्ति जताई जिसका समर्थन भारत ने किया।
7. नए संवधान का अनुच्छेद 11 (6) कहता है क यदि कोई नेपाली नागरिक वदेशी महिला से ववाह करता है तो उस महिला को संघीय कानून अनुसार देशीयकरण प्रदत्त नागरिकता मलेगी। मधेशियों की मांग है क देशीयकरण नागरिकता स्वतः ही होनी चाहिए, इस बिंदु का भी भारत समर्थन करता है।



## भारतीय कदम पर नेपाल की प्रति क्रिया

भारत द्वारा दिए गए इन सुझावों का नेपाल के राजनेताओं ने स्वागत नहीं किया। नेपाल के मीडिया ने इसकी भर्त्सना करते हुए इसे भारत का अनावश्यक हस्तक्षेप कहा। नेपाल मूल की वदुषी मल्लिका शाक्य इस मसले पर कहती हैं कि भारत का यह हस्तक्षेप नेपाली लोगों में ध्रुवीकरण को बढ़ाता है और नेपाल की एकीकृत राजनीति में वरोधाभास पैदा करता है, अतः इस समस्या का हल नेपाल को स्वयं ही निकालने दे।

नेपाल विशेषज्ञ प्रो. एस. डी. मुनि इस बारे में कहते हैं कि इस प्रकार के ध्रुवीकरण में भारत का कसी एक पक्ष का साथ देना न तो बुद्धमानी की नीति है और न ही प्रभावशाली कूटनीति है। नेपाल के कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल (माओवादी) प्रमुख पुष्प कमल दहाल उर्फ प्रचंड ने कहा कि उनका देश भारत से अच्छी दोस्ती चाहता है, लेकिन नेपाल को कोई "यस मैन" के रूप में देखे यह मुमकिन नहीं है। नेपाल में भारतीय सीमा से लगे अनेक हिस्सों में नये संवधान को लेकर हिंसक प्रदर्शनों पर भारत द्वारा चंता जताये जाने के बाद प्रचंड ने यह बात कही। प्रचंड ने भारत की प्रति क्रिया पर कहा नेपाली जनता के लंबे संघर्ष और बलदान के बाद संवधान आया है। नेपाल की संवधान सभा शांति प्रक्रिया के साथ जुड़ी थी। इस प्रक्रिया में भारत का शुरू से ही सहयोग और सद्भाव रहा है। जब संवधान बना तो हमें उम्मीद थी कि भारत को भी अनुभूति होगी, वह इसका स्वागत करेगा लेकिन यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि भारत को इसे लेकर कुछ आपत्तियां हैं, इसका हमें थोड़ा दुख है। काठमांडू पोस्ट ने इस बारे में कहा कि "दिल्ली अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए सीमा का उल्लंघन कर रही है जो कि ठीक नहीं है। नेपाली अखबार कांतिपुर ने लिखा कि "ये समस्याएं हमारे लिए सुलझाने के लिए हैं, एक पड़ोसी देश इस चरण में आये और हमारी आंतरिक समस्याओं एवं चुनौतियों को सुलझाये यह हमें स्वीकार नहीं है।" द राइजिंग नेपाल ने लिखा कि, "भारत ने अभी तक नेपाल के नये संवधान का स्वागत नहीं किया है, जो कि भारत की सीमा से लगे तराई क्षेत्र में अस्थिरता लाएगा।"

नये संवधान से असंतुष्ट मधेशियों के आन्दोलन के चलते संवधान की घोषणा के तुरंत बाद ही भारत नेपाल सीमा पर अघोषित नाकेबंदी हो गई, जिससे नेपाल में खाद्य आपूर्ति एवं पेट्रोलियम उत्पादों की आपूर्ति बंद हो गई। नेपाल ने इसका आरोप भारत पर



लगाते हुए कहा क भारत यह दबाव जान बूझ कर बना रहा है। वही भारत का कहना है क इस प्रकार की आर्थिक नाकेबंदी की उसने कोई घोषणा नहीं की है। नेपाल के उपप्रधानमंत्री ने इस आर्थिक नाकेबंदी के मामले को संयुक्त राष्ट्र के महासचिव बान की मून के सम्मुख भी रखा है। यह कदम दोनों देशों के मध्य अ वश्वास एवं कटुता को और गहरा करती है। यदि यह गतिरोध की स्थिति आगे बनी रही तो काफी उद्योग एवं कारोबार को बंद करना पड़ेगा जिसका नुकसान भारत को भी उठाना पड़ेगा। क्योंकि खुली सीमा होने की वजह से दोनों देशों के मध्य व्यापार निर्बाध रूप से चलता है। अतः इससे पहले क भारत नेपाल सम्बंधों में कटुता और बढे, दोनों देशों को बिना समय गँवाए कूटनीतिक रास्ते से इस मसले का हल करना चाहिए।

वर्तमान गतिरोध का भवष्य

नेपाल के पूर्व संवधानों की रचना के दौरान ये देखा गया है क, जब कभी संजातीयता, शासन, भाषा और क्षेत्रीय समस्याओं को अनदेखा किया गया है, इसकी पुनरावृत्ति बाद में मुख्य मुद्दों के रूप में सामने होती है, जिसके कारण देश में जन आन्दोलन और क्रांति का जन्म होता है। नये संवधान द्वारा स्थिरता लाने के लिए, संवैधानिक सभा को देश में उठती मांगों और आवाजों को सुनना चाहिए था और उन्हें समाहित करना था।

भारत को जरूरत है क वह अपने कूटनीतिक द्रष्टिकोण को नरम रखे, अपने आपको सीमान्त समूहों और नेपाल सरकार के खेमे के साथ एक सार्थक संवाद के जरिये जोड़े। इस प्रकार से उप क्षेत्रीय एकीकरण मजबूत होगा, जिस पर भारत ने हमेशा से जोर दिया है। नेपाल का संवधान नम्य है, इसमें संशोधन की गुंजाईश का क्षेत्र व्यापक है। राजनीतिक इच्छा द्वारा वर्तमान गतिरोध और संकट का एक तार्किक हल निकाला जा सकता है।

लेकिन मधेसी और दक्षिणी नेपाल और कुछ पश्चिमी जिलों में थारू जातीय समुदाय नए संवधान के खिलाफ हैं क्योंकि उनका मानना है क यह मधेसी और थारू जातीय समुदायों की ओर से उठायी गई चंताओं का समाधान करने के असफल रहा। भारत ने नेपाल में जारी हिंसा को लेकर चंता जताई है। भारत ने वदेश सचिव एस. जयशंकर को



प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूत के तौर पर नेपाल भेजा गया था ता क नेपाली नेतृत्व से आग्रह किया जा सके क वह सभी पक्षों की चंताओं का समाधान करे। जयशंकर ने कल कहा था क संवधान लागू होना खुशी का मौका होना चाहिए हिंसा का नहीं। बाद में नेपाल के प्रधानमंत्री सुशील कोइराला ने आंदोलनकारी मधेसी और थारू समूहों से अपील की थी क वे अपना आंदोलन वापस ले लें और बातचीत के लिए आगे आएं। उन्होंने कहा था क सभी समस्याओं का हल समझौते और साथ काम करके किया जा सकता है।

नवीन संवधान और नागरिकता का मुदा:

नेपाल में नागरिकता प्रमाणपत्र कसी भी नेपाली आदमी के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण दस्तावेज है पर इसे पाना बड़ा ही कठिन है. एक अनुमान के मुताबिक देश में करीब बीस लाख लोग ऐसे हैं जिनके पास ये दस्तावेज नहीं है इसका मतलब है क ये लोग नेपाल के निवासी हैं लेकिन नागरिक नहीं. कई लोगों को भय है क नेपाल के नए संवधान में ये नियम और कड़े किए जा सकते हैं. नागरिकता से संबंधित इन प्रावधानों की वजह से कई लोग अजीब पेशोपेश में पड़ गए हैं। नेपाल के क्रिकेट खिलाड़ी शरद भस्वाकर देश के बड़े खिलाड़ियों में से एक हैं. वो नेपाल की टीम की राष्ट्रीय टीम के खिलाड़ी हैं लेकिन देश के अधिकृत नागरिक नहीं हैं. उनका पूरा जीवन नेपाल में बीता है. उनकी माँ नेपाली हैं पर उनके पता भारतीय थे. नेपाल के कानून के मुताबिक उन्हें नागरिकता हासिल करने में परेशानी नहीं होनी चाहिए थी. लेकिन अभी तक नागरिकता हासिल करने की उनकी कोशिश नाकाम रही है. उनकी माँ भगवती छेत्री इस असहाय स्थिति पर कहती हैं, "मैं पहले आठ साल से नागरिकता प्रमाण पत्र लेने की कोशिश कर रही हूँ. साल भर में मैं जो भी बचाती हूँ वो सब इसी कोशिश में खर्च हो जाता है. अब तो बिना नागरिकता प्रमाण पत्र के कोई मकान भी किराए पर नहीं देता. मेरा तो चल गया पर मेरे बच्चों का क्या होगा बिना इसके वो कैसे अपनी रोजी रोटी कमाएंगे. शरद इस मुद्दे पर कहते हैं " ये बहुत ही लंबा कस्सा है. आठ नौ सालों से मैं इस जद्दोजहद में लगा हूँ. पर समस्या वहीं की वहीं है. कई बार ये मामला बेहद परेशान कर देता है." कुछ साल पहले नेपाल सरकार ने एक विशेष मामला मानते हुए उन्हें अंतरराष्ट्रीय मैचों में खेलने जाने के लिए एक पासपोर्ट जारी किया था पर



शरद अभी भी नेपाली नागरिक नहीं हैं. बिना नागरिकता प्रमाणपत्र के वो बैंक में खाता नहीं खोल सकते, ड्राइ वंग लाइसेंस नहीं ले सकते और तो और उच्च शिक्षा के लिए प्रयास भी नहीं कर सकते. नेपाल नागरिकता अधिनियम 2006 के मुताबिक नेपाल में 16 साल की उम्र में कसी को भी नागरिक घोषित किया जा सकता है बशर्ते आवेदनकर्ता के माँ या पता ने उसके आवेदन पर हस्ताक्षर किए हों. लेकिन इसके बावजूद पुरुष प्रधान समाज में महिलाओं को अपने बच्चों को नागरिकता दिलाने में काफी दिक्कत पेश आती है, खासकर वैसी स्थिति में जब पता न हों या फिर पता नेपाल के नागरिक न हों.

महिलाएं अधिक परेशान

प्रारूप में कहते हैं कि नेपाल में नागरिकता के लिए माता और पता दोनों का नेपाली होना जरूरी है तभी कसी को नागरिकता मिल पाएगी. कसी एक के नेपाली होने से काम नहीं चलेगा. संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार मामलों के समन्वयक रॉबर्ट पाइपर कहते हैं, "ऐसी समस्या वाले लोगों की संख्या संयुक्त राष्ट्र के आंकड़ों से कहीं ज्यादा हो सकती है. नेपाल के चुनाव आयोग ने गाँवों में लोगों से बात की थी और 20 लाख से ज्यादा लोग अपने नागरिकता प्रमाणपत्र नहीं दे पाए, उन्होंने शहर में लोगों से अभी बात ही नहीं की है." नेपाल के संवधान सभा की सदस्य उषाकला राय कहती हैं " कई महिलाएं हिंसा और भेदभाव का शिकार होती हैं. खास तौर पर महिलाएँ जो काम काज के लिए बाहर जाती हैं, जिनके पति उन्हें छोड़ चुके हैं या जिनका तलाक हो चुका है उनके और उनके बच्चों को नागरिकता से वंचित होना पड़ सकता है."

नेपाल में नागरिकता एक संवेदनशील मुद्दा है. नेपाल के सरकारी अधिकारियों और नेताओं को लगता है कि उन्हें इस मामले में सख्त होना ही होगा क्योंकि नेपाल तीन तरफ से भारत जैसे विशाल और बड़ी आबादी वाले देश से जुड़ा है. राजनेता कहते हैं कि नए संवधान में वो औरतों के खिलाफ भेदभाव को दूर कर देंगे. संयुक्त राष्ट्र के अधिकारियों का कहना है कि मामला दावे के उलट है. संयुक्त राष्ट्र के रॉबर्ट पाइपर कहते हैं कि नए संवधान के प्रारूप में नियम और सख्त हैं. पाइपर के अनुसार "प्रारूप में कहते हैं कि नेपाल में नागरिकता के लिए माता और पता दोनों का नेपाली होना जरूरी है तभी कसी



को नागरिकता मल पाएगी. कसी एक के नेपाली होने से काम नहीं चलेगा." नागरिकता नियम अभी पूरी तरह से तय नहीं हुए हैं लेकन लोगों में भय है क अगर प्रारूप में मौजूद प्रस्ताव मान लए गए तो लाखों लाख लोग मूलभूत अ धकारों से वं चत हो जाएँगे.

कोरोना संकट के बीच नेपाली नागरिकता के नए प्रावधानों का ऐलान

तीन भारतीय क्षेत्रों को अपने नए नक्शे में शामिल करने के कानून को पास करने के बाद 19 जून को नेपाल की सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी की सचवालय बैठक में भारतीयों के लए नागरिकता कानून में बदलाव को मंजूरी दे दी गई. टाइम्स नाउ के अनुसार, नेपाल सरकार द्वारा लाए गए संशोधन को सही ठहराने के लए नेपाल के गृह मंत्री राम बहादुर थापा ने भारत के नागरिकता कानून का उदाहरण दिया. थापा ने घोषणा की क नए कानून के अनुसार, नेपाली नागरिक से शादी करने वाली कसी भी भारतीय लड़की को नागरिकता हासल करने के लए सात साल का इंतजार करना पड़ेगा. उन्होंने इसके लए भारतीय कानून का हवाला दिया जिसके तहत कसी वदेशी नागरिकता वाले व्यक्ति को कसी भारतीय से शादी करने के सात साल बाद ही नागरिकता दी जाती है. हालां क, नेपाल के गृह मंत्री ने अपने बयान में इस तथ्य का उल्लेख नहीं कया क भारतीय नागरिकता कानून का यह प्रावधान नेपाली नागरिकों पर नहीं लागू होता है.

निष्कर्ष:

अंत में निष्कर्ष के तौर पर कहा जा सकता है क नेपाल का नवीन संवधान निस्संदेह दशकों की माओवादी हिंसा से जूझ रहे हिलामायी देश के लए एक बड़ी उपलब्धि है। इसके सहार इसने राजतंत्र से लोकतंत्र का सफर तय कया है। लेकन संवधान की एक बुनियादी शर्त यह होती है क यह राष्ट्रीय सहमति पर आधारित हो और वह सर्वग्राह्य हो। इस कसौटी पर नेपाली संवधान पूरी तरह खरा नहीं उतरता है। इसने असहमति के कई बिन्दुओं को जन्म दिया है, जिसका समाधान पर ही नेपाल का भवष्य टिका है।



**संदर्भ:**

1. Sanjay Kumar, “Nepal Tests India’s Much Touted Neighborhood Diplomacy”, *The Diplomat*, September 26, 2015
2. Hari Phuyal, “Nepal's New Constitution: 65 Years in the Making”, *THE DIPLOMAT*, 18 September, 2015,
3. <http://thediplomat.com/2015/09/nepals-new-constitution-65-years-in-the-making/>
4. Nepal enshrines the Right to Food in new constitution,
5. <http://www.fao.org/news/story/en/item/334895/icode/>
6. अवधेश कुमार, “नेपाल का नया संवधान भेदभाव पूर्ण”, पीपुल्स समाचार, September 27, 2015,
7. <http://thediplomat.com/2015/09/nepal-tests-indias-much-touted-neighborhood-diplomacy/>
8. “भारत का "यस मैन" नहीं बनेगा नेपाल: प्रचंड”, *खास खबर*, September 22, 2015,
9. <http://www.khaskhabar.com/picture-news/news-seeks-friendship-but-nepal-will-not-be-yes-man-of-india-prachand-1-13036.html>
10. <https://thewirehindi.com/127692/nepal-ruling-communist-party-amended-citizenship-law-for-indians/>